



Bhartia Krishi Vigyan Kendra, Fatehpur
Directorate of Extension Education
(S.K.N. Agriculture University, Jobner-Jaipur)

Ph. No. 01571-222062 (Off/Fax), 297280 (Res.)

Email: pc.kvk.fatehpur@sknau.ac.in

Dr. Junaid Akhter

No: F.28/BKVK/FTR/Tender/2018/ 106-112

Date: 15/5/2018

सीमित निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर फार्म पर खरीफ फसल 2018 के लिए लगभग 7.5 हेक्टेयर में हिस्सा आधारित खेती हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फॉर्म रु 500/- नकद जमा करवाकर कार्यालय से (समय प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक) प्राप्त कर सकते हैं तथा इस निविदा की सूचना विश्वविद्यालय के पोर्टल www.sknau.ac.in तथा राजस्थान सरकार के पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है। इच्छुक फर्म/पार्टी/व्यक्ति अपनी निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 30.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक केन्द्र पर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त सभी निविदाएं दिनांक 30.05.2018 को ही दोपहर 01.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी।

निविदा की शर्तें –

1. निविदा का बजट हैड कृषि विज्ञान केन्द्र का रिवोल्विंग फंड होगा।
2. निविदा कार्य की अवधि एक सीजन खरीफ-2018 होगी।
3. इस निविदा हेतु धरोहर राशि रूपये 3000/- जमा करानी होगी।
4. ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाइजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनसे सम्बन्धित डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में निविदादाता का कोई योगदान नहीं रहेगा।
5. बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी।
6. बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
7. स्वीकृति निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी पाइप, फव्वारे, बेंड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे।
8. विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर/इंचार्ज व कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
9. थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के हिस्सादारी के अनुसार कोन्ट्रेक्टर को राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल निकालने के समय जो भी समर्थन मूल्य रहेगा उसके हिसाब से एवं जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो उन फसलों का थ्रेसिंग/तुलाई के समय उपज मंडी के 07 दिनों के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।
10. फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म इंचार्ज अथवा कार्यक्रम समन्वयक से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इक्कठा करने के लिये ट्रेक्टर ट्रौली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी।


लगातार.....2.....


Continue (2)

11. निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर/इंचार्ज अथवा कार्यक्रम समन्वयक को होगा।
12. फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर/इंचार्ज/कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की कतार निविदादाता को लगानी होगी।
13. थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
14. थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए केवीके द्वारा ट्रेक्टर ट्रौली उपलब्ध करवा दी जावेगी।
15. फसल में थिनिंग/रोगिंग कार्य फार्म मैनेजर /फार्म इंचार्ज की देखरेख में निविदादाता को ही करना होगा।
16. पम्प व ट्यूब वैल मोटर ओपरेशन सम्बन्धी कार्य निविदादाता को ही करना होगा व इनकी देखरेख का कार्य भी निविदादाता को ही करना होगा।
17. ट्यूब वैल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा।
18. निविदादाता को निविदा मंजूर होने के पश्चात एंव कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व 100 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मेरा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा फार्म से सम्बन्धित फार्म मैनेजर /इंचार्ज /अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कार्य समय पर संतुष्टि पूर्ण पूरा न करने पर केन्द्र कमेटी के निर्णय के आधार पर मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है।
19. बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार फार्म मैनेजर/इंचार्ज/ कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रैक्टर को मान्य करना होगा।

प्रतिलिपि -

1. श्रीमान निदेशक, प्रसार शिक्षा, SKNAU, जोबनेर।
2. श्रीमान प्रभारी, सिमका, SKNAU, जोबनेर को भेजकर विश्वविद्यालय पोर्टल www.sknau.ac.in व राजस्थान सरकार के पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in पर प्रकाशन हेतु।
3. मोतीलाल सैनी, वार्ड नं. 33, फतेहपुर।
4. गिन्नी देवी, लुहारो का मौहल्ला, फतेहपुर।
5. सम्पति देवी पत्नी स्व. जगदीश, मालियो की ढाणी, फतेहपुर।
6. नोटिस बोर्ड, नगरपालिका, फतेहपुर।
7. समस्त समिति सदस्य केवीके, फतेहपुर।
8. नोटिस बोर्ड, केवीके, फतेहपुर।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
Senior Scientist and Head
Bhartia Krishi Vigyan Kendra
Fatehpur (Sikar)


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
Senior Scientist and Head
Bhartia Krishi Vigyan Kendra
Fatehpur (Sikar)